2018-19

(3)

MAH/MUL/03051/2012
ISSN-2319 9318

विद्यावार्ता

Issue-34, Vol-07 April to June-2020

International Multilingual Referred Research Journal

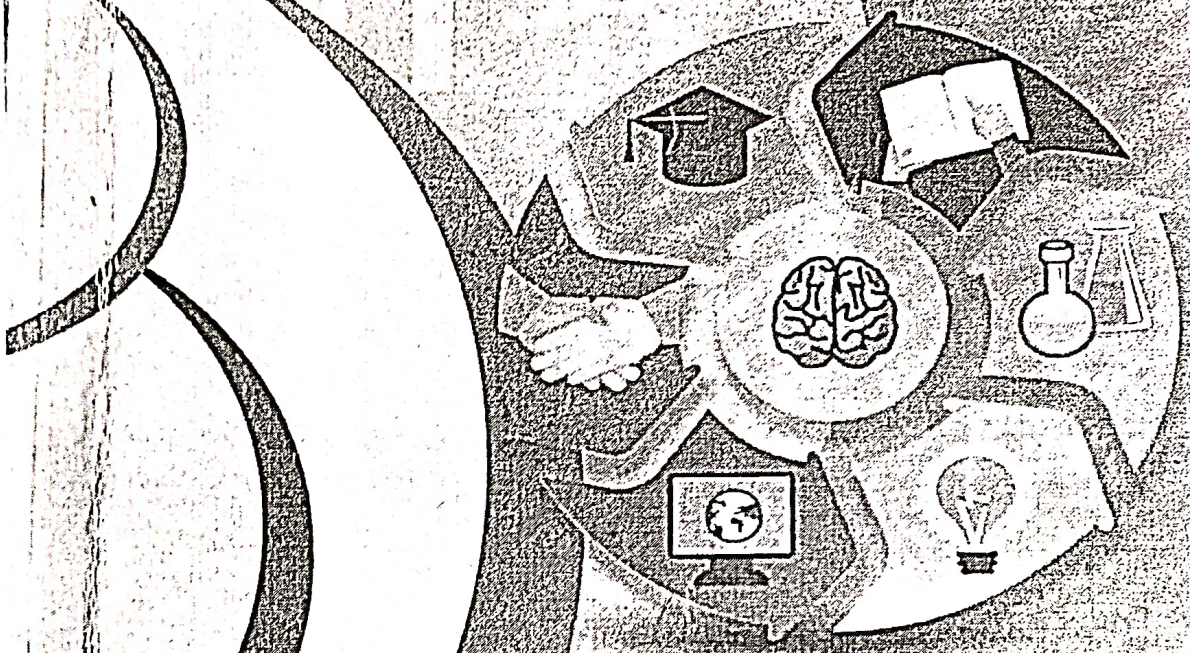

Editor
Dr Bapu G.Gholap

www.vidyawarta.com

राजपूत शासक अपने अधिकार क्षेत्र का बहुत कुछ भाग जागीर के रुप में अपने भाईयों में बांट देते थे। इसके बदले में वे राज्य की सेवा करते थे। इसके अतिरिक्त अन्य वंशीय राजपूत और अन्य जातियों के लोगों को भी शासकीय सेवा के बदले में जागीरें दी जाती थी। पर यह कार्यवाही लिखित न होकर मौखिक होती थी। जोधपुर राज्य में मालदेव के शासनकाल से ही सरदारों को जागीरी पट्टे देने की परम्परा प्रारंभ हुई।

निष्कर्ष –

मुगलों के संपर्क में आने के पहले यहाँ के बड़े–बड़े शासक जागीरदारों के साथ भाईचारे का व्यवहार रखते थे। परन्तु मुगल शासन प्रणाली के प्रभाव के फलस्वरुप धीरे–धीरे इनके आपसी व्यवहार में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। यहाँ के शासक जागीरदारों को अपने से नीचा समझ कर उन पर नियंत्रण स्थापित करने की पूरी–पूरी चेष्टा करने लगे थे। फल यह हुआ कि धीरे–धीरे इन सामंतों की शक्ति घटने लगी और इन्हें विवश होकर शासक का साथ देना पड़ता था। इस प्रकार जागीरदारी प्रथा में छोटे–बड़े सभी सामन्त एक राजा की अधीनता में कार्य करते थे। ये सभी सामन्त राज्याधिकारी होते थे, परन्तु वे सभी एक बड़े राजा के नियंत्रण में काम करते थे। राजा और सामन्तों के बीच एक निर्धारित विधान कार्य होता था। जागीरदारी प्रथा का शासन इसी प्रकार से होता था।

संदर्भ ग्रंथ सूची –

१. कर्नल जेम्सटॉड : राजस्थान का इतिहास

२. एम. अतहर अली :औरंगजेबकालीन मुगल अमीर वर्ग

३. डॉ. रघुवीर सिंह :रतलाम का प्रथम राज्य, उसकी स्थापना एवं अंत

४. डॉ. निर्मलचंद्र राय :महाराजा जसवंतसिंह का जीवन व समय

५. पद्मजा शर्मा :जोधपुर के महाराजा मानसिंह और उनका काल (१८०३–१८४३)

६. मीरा मित्र :महाराजा अजीतसिंह एवं उनका युग

७. नारायण सिंह भाटी : मारवाड़ रा परगना री विगत भाग २

८. बी.एम. दिवाकर : राजस्थान का इतिहास

45

उद्यमिता और कौशल विकास

डॉ. नरेन्द्र पाल सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य संकाय,
साहू जैन कॉलेज नजीबाबाद (उ.प्र.)

डॉ. सुनील पंवार
एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग,
एम.पी.जी. कॉलेज मसूरी (उत्तराखंड)

सारांश

उद्यमिता के माध्यम से कोई व्यक्ति या संस्था जोखिम उठाकर बाजार में मांग के अनुसार विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन, वितरण तथा सेवाएं प्रदान करती है, वहीं कौशल को किसी भी व्यक्ति को, किसी भी क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य करने की क्षमता को विकसित करने के माध्यम से समझा जा सकता है। कौशल विकास किसी भी व्यक्ति को कुशल एवं दक्ष मानव संसाधन के रूप में विकसित करने में सहायक होते हैं। हम स्नातक तो विश्व में सर्वाधिक तैयार कर रहे हैं किंतु उन क्षेत्रों में नहीं जहाँ देश को ज्यादा कर्मचारियों की आवश्यकता है। ये स्नातक ऐसे नहीं है जिनके पास वे कौशल हों जिनकी बाजार को आवश्यकता है। नौकरियों की मांग ज्यादातर सर्विस सैक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है। हमारे स्नातकों की बड़ी संख्या इन क्षेत्रों की मांग पूरी करने के लिए पूर्ण रूप से कुशल नहीं है, इनमें इंजीनियरिंग के स्नातक भी शामिल हैं। किसी भी कौशल विकास कार्यक्रम का उद्देश्य बेरोजगारी को कम करना और आबादी के बड़े भाग को आर्थिक रूप से सक्रिय बनाना है। देश में कौशल विकास एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं जिसके अंर्तगत ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान, राष्ट्रीय कैरियर सेवा इत्यादि कौशल

प्रशिक्षण देने हेतु उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण की प्रक्रिया में कार्यरत हैं। आगामी दशक में उद्यमिता और कौशल विकास के लक्ष्यों में गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण सतत् कृषि विकास, बेहतर स्वास्थ्य, समावेशी गुणवत्तापूर्ण व आजीविका उपार्जन, महिला सशक्तिकरण व लैंगिक समानता, पानी व स्वच्छता प्रबंधन, सस्ती ऊर्जा की उपलब्धता, रोजगार सृजन, उत्पादकता नवाचार व औद्योगीकरण के प्रोत्साहन को शामिल किया गया है। नियोक्ताओ एवं उद्यमों की आवश्यकताओं को समझने के लिए समय-समय पर कौशल विकास सर्वेक्षण भी किया जाना चाहिए इस प्रकार के सर्वेक्षण कौशल एवं प्रशिक्षण से संबंधित पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक हो सकते हैं तथा इसके माध्यम से नियोक्ताओं की अपेक्षित आवश्यकताओं की भी पूर्ति की जा सकती है। वर्तमान कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त वित्तीय एवं मानव संसाधनों सहित आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी भी आवश्यक है।

कुछ दशक पहले तक जो लोग आबादी को समस्या मानते रहे हैं, आज वे अपनी सोच बदलने को बेबस हुए हैं। हमारी बड़ी आबादी हमारा बड़ा संसाधन बन चुकी है। दुनिया की आबादी में हमारी लगभग १८ प्रतिशत हिस्सेदारी है। वह अगर बड़ी उत्पादक है तो बड़े उपभोक्ता के रूप में भी घरेलू खपत को बढ़ा रही है। इसी आबादी के बूते अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था कुलांचे भर रही है। यहां ९१ प्रतिशत आबादी ५९ साल से कम उम्र की है। जहां दुनिया के अधिकांश देश बीमार और अपेक्षाकृत अधिक बुजुर्ग आबादी के बोझ से दबे हैं वहीं हमारे पासयुवा और कार्यशील मानव संसाधन का जखीरा है। यही मानव संसाधन भारत को विश्व शक्ति की ओर बढ़ा रहा है इस पर हमें गर्व है। चुनौती सिर्फ हर हाथ को हुनर और हर दिमाग को कौशलयुक्त बनाकर रोजगार से जोड़ने यानी जनसंख्या नियोजन की है। यूनाईटेड नेशन्स पॉपुलेशन फंड की स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार १०—२४ वर्ष की आयु वर्ग में भारत पहले स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि १० से २४ आयु वर्ग की भारतीय आबादी में हिस्सेदारी २८ प्रतिशत है। जरूरत सिर्फ इन युवाओं की बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य में निवेश करने की और उनके अधिकारों को संरक्षित किए जाने की है। राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति २०१५ में उल्लेख किया गया है कि भारत की ५४ प्रतिशत से अधिक जनसंख्या २५ वर्ष से कम उम्र की है और ६२ प्रतिशत जनसंख्या १५ से ५९ वर्ष के आयु वर्ग में है। इस नीति में दर्शाया गया है कि भारतीय जनसंख्या की औसत आयु २९ वर्ष है जबकि अमेरिका में ४० वर्ष, यूरोप में ४६ वर्ष और जापान में ४७ वर्ष है। भारत के इस जनसांख्यिकी लाभ को, वर्तमान और भविष्य के कौशल की मांग के अनुरूप, युवाओं को सही कौशल प्रदान करके जनसांख्यिकीय लाभांश में बदला जा सकता है। अब कार्यशील आबादी के उपर निर्भर बच्चों और बुजुर्गो का अनुपात काफी कम है। वर्तमान में भारत एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है जहां पर वह अगले कई दशकों तक प्रचुर आर्थिक लाभ लेने की स्थिति में है। दुनिया में सर्वाधिक कार्यशील आबादी का पूरा लाभ तभी संभव है जब हर हाथ हुनर और हर दिमाग कौशल युक्त हो। भारत में इस चिंता को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास कार्यक्रम में तेजी आई है। कुछ अनुमानों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को कार्यबल में वास्तविक वृद्धि को खपाने के लिए लगभग ७० लाख नौकरियां प्रतिवर्ष उत्पन्न करनी होंगी। कम उत्पादकता वाले रोजगार से श्रम बल विस्थापन को ध्यान में रखते हुए आने वाले वर्षो में ८० से ९० लाख नई नौकरियों की आवश्यकता होगी।

उद्यमिता का आशय उन सभी उद्यमों और उद्यमियों से है जो विभिन्न आर्थिक गतिविधियों द्वारा लोगों, समाज एवं संगठनों की विभिन्न जरूरतों या आवश्यकताओं की पूर्ति में आवश्यक संसाधनों के समुचित प्रबंधन से वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण करते हैं। उद्यमिता के माध्यम से कोई व्यक्ति या संस्था जोखिम उठाकर बाजार में मांग के अनुसार विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन, वितरण तथा सेवाएं प्रदान करती है, वहीं कौशल को किसी भी व्यक्ति को, किसी भी क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य करने की क्षमता को विकसित करने के माध्यम से समझा जा सकता है। कौशल विकास किसी भी

व्यक्ति को कुशल एवं दक्ष मानव संसाधन के रूप में विकसित करने में सहायक होते हैं। भारत में ऊर्जावान गतिशील जनसांख्यिकीय लाभांश को शिक्षा, कौशल विकास और प्रशिक्षण द्वारा बेहतर मानव संसाधन के रूप में विकसित करने से न केवल बेरोजगारी, गरीबी और सामाजिक बुराईयां इत्यादि का समाधान मिल सकता है। अपितु वे राष्ट्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। भारत सरकार ने २०२२ तक पचास करोड़ लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में कुशल बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए विभिन्न योजनाओं हेतु एवं संस्थाओं के माध्यम से युवाओं, महिलाओं एवं समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को कुशल मानव संसाधन के रूप में विकसित कर उन्हें सम्मानीय आजीविका प्रदान करना है।

वर्ष २०१८ के एक सर्वे के अनुसार भारत विश्व के उन देशों की सूची में चौथे स्थान पर था जहाँ कौशल का विकट संकट चल रहा है। देश की ५६ प्रतिशत संस्थाओं ने इस बात पर जोर दिया है कि उन्हें अपनी आवश्यकता के हिसाब से कुशल कर्मचारी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इस तथ्य को जानने के बाद देश में रोजगार संकट का समाधान होता दिखाई दे रहा है। हम स्नातक तो विश्व में सर्वाधिक तैयार कर रहे हैं किंतु उन क्षेत्रों में नहीं जहाँ देश को ज्यादा कर्मचारियों की आवश्यकता है। ये स्नातक ऐसे नहीं है जिनके पास वे कौशल हों जिनकी बाजार को आवश्यकता है। एक तरफ तो बेरोजगार युवा कह रहे हैं कि उनको नौकरी नहीं मिल रही है जबकि दूसरी तरफ उद्यमियों का कहना है कि उन्हें सही एवं योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं अर्थात् मांग और पूर्ति के बीच असंतुलन की समस्या बनी हुई है। नौकरियों की मांग ज्यादातर सर्विस सैक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है। हमारे स्नातकों की बड़ी संख्या इन क्षेत्रों की मांग पूरी करने के लिए पूर्ण रूप से कुशल नहीं है, इनमें इंजीनियरिंग के स्नातक भी शामिल हैं। मैकिंसी की रिपोर्ट कहती है कि भारत के सिर्फ एक चौथाई इंजीनियर ही नौकरी पाने योग्य हैं। अतः हमें शिक्षा के मामले में अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है जिससे न केवल निजी उन्नति होगी बल्कि देश का विकास भी संभव होगा। वर्ष २०१४ की रिपोर्ट के अनुसार देश में कौशलों की कमी का आंकड़ा ६४ प्रतिशत था जो वर्ष २०१८ में सुधरकर ५६ प्रतिशत हो गया। देश में वर्ष २०१४ के बाद कौशल विकास के कई कार्यक्रम चलाए गए हैं जिनमें स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अटल इनोवेशन मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (२), संकल्प, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना आदि शामिल हैं। साथ ही लोगों की जागरूकता, पाठ्यक्रमों की उपलब्धता और आर्थिक स्थिति का प्रभाव भी कौशल विकास पर पड़ा है। हमें समाज की मानसिकता में भी बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। दुनियाभर की सरकारें विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग और गणित की शिक्षा को अपने समाज की तरक्की का मूल मंत्र मानकर चल रही है जबकि इसके साथ कौशल विकास भी जरूरी है। हमारी शिक्षा व्यवस्था आज भी पुरानी शैली में चल रही है जिससे जानकारियां एवं डिग्री तो मिलती है लेकिन कुछ क्षेत्रों के अलावा कौशल नहीं देती और न ही व्यवसाय या रोजगार के लिए तैयार करती है। आज दुनिया में निरंतर बदलाव हो रहे हैं और भविष्य में तो इसमें और भी अधिक तेजी आएगी जिसके लिए हमें नए कौशल सीखने की जरूरत है ये कौशल हर स्तर पर चाहिए, चाहे उसमें प्लंबर हो इलैक्ट्रीशियन हो या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और बिग डाटा एनालिस्ट हो। आज दुनिया भर में रोजगार के क्षेत्र में आने वाले बदलावों की चर्चा हो रही है जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि वर्ष २०२५ के बाद से दुनिया की प्रत्येक कंपनी एक तकनीकी कंपनी भी होगी।

किसी भी कौशल विकास कार्यक्रम का उद्देश्य बेरोजगारी को कम करना और आबादी के बड़े भाग को आर्थिक रूप से सक्रिय बनाना है। बेरोजगारी दर जो श्रमबल में बेरोजगार व्यक्ति के प्रतिशत के रूप में परिभाषित की जाती है वर्ष २०१७--१८ में ६.१ प्रतिशत थी और अगर बेरोजगारी को जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में बताया जाए तो वर्ष २०१७–१८ में कुल जनसंख्या में लगभग २.२ प्रतिशत बेरोजगार थे। बेरोजगारी दर उन लोगों की तुलना में जिनका शैक्षिक स्तर माध्यमिक से कम था शिक्षितों से अधिक

थी। विगत कुछ वर्षों में युवाओं में बेरोजगारी की दर बढ़ी है। ग्रामीण पुरुष युवाओं में बेरोजगारी दर वर्ष २०११–१२ से वर्ष २०१७–१८ के बीच लगभग ५.० प्रतिशत से बढ़कर १७.४ प्रतिशत हो गई और इसी तरह शहरी क्षेत्र में भी शहरी पुरुषों के बीच बेरोजगारी दर वर्ष २०११–१२ से वर्ष २०१७–१८ के दौरान ८.८ प्रतिशत से बढ़कर १८.७ प्रतिशत हो गई है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं एवं युवाओं की बेरोजगारी दर भी उपर्युक्त अवधि के दौरान लगभग १३.० प्रतिशत बढ़ी है जो इंगित करता है कि कौशल विकास की बढ़ती गति के बावजूद युवाओं में बेरोजगारी की दर में गिरावट नहीं आई है जबकि कृषि क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या में कमी आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में विनिर्माण क्षेत्र, व्यापार, होटल और रेस्तरां, परिवहन, भंडारण और संचार में लगे श्रमिकों का अनुपात बढ़ा है। इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सरकार के ध्यान केंद्रित करने के साथ कृषि से गैर कृषि क्षेत्र जैसे निर्माण, व्यापार और परिवहन में रोजगार हासिल करने में संरचनात्मक बदलाव आया है। इसके साथ ही उन्नत ऑटोमेशन प्रौद्योगिकी की शुरूआत ने सूचना प्रौद्योगिकी और व्यापार प्रक्रिया आउटसोर्सिंग क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा दिया है। इन क्षेत्रों में कई प्रशिक्षित युवाओं का रोजगार पाना अपेक्षित है बशर्ते प्रशिक्षित युवा बदलती जरूरतों के अनुसार कौशल हासिल करें।

उद्यमिता और कौशल विकास की देश की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक समस्याओं जैसे गरीबी एवं बेरोजगारी आदि के उन्मूलन में कौशल विकास सहायक सिद्ध हो रहा है। कौशल विकास से आर्थिक गतिविधियों द्वारा जनसामान्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है व राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। युवाओं को रचनात्मक व सृजनात्मक गतिविधियों द्वारा अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला है साथ ही देश में कुशल एवं दक्ष मानव संसाधन विकसित करने में महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। कौशल विकास समाज में महिलाओं, दिव्यांगजनों, ट्रांसजेंडर व युवाओं को बेहतर आजीविका प्रदान कर सामाजिक एकीकरण में सहायक सिद्ध हुआ है। नवाचार को बढ़ावा देकर लोगों के जीवन स्तर को सीधे–सीधे सकारात्मक रूप से प्रभावित करने में सहायक है, ग्रामीण शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों में व्यावसायिक वातावरण तैयार किया है तथा नवयुवाओं को आत्मनिर्भर बनने हेतु भी प्रोत्साहित किया है। जनसामान्य को उद्यमों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर, उन्हें जोखिम लेकर स्वयं के उद्योग हेतु प्रोत्साहित किया है। कौशल विकास के माध्यम से विभिन्न प्रकार की अवांछित सामाजिक बुराइयों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

भारत में उद्यमिता एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने की दिशा में समय–समय पर आवश्यक उपाय किए हैं परंतु १९९१–९२ के दौरान आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण के दौर ने भारत में उद्यमिता व कौशल विकास की दिशा में सरकारों, निजी क्षेत्र और जनता की अपनी आकांक्षाओं को विस्तृत रूप लेने के प्रति आकर्षित किया है। वहीं वर्तमान दशक देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता और कौशल विकास को लेकर काफी महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि इसी दौरान सूचना संचार प्रौद्योगिकी से इलैक्ट्रॉनिक व्यापार (ई–कॉमर्स) के माध्यम से उद्यमिता और कौशल विकास को स्वतः फलने–फूलने का अवसर मिला है। देश में उद्यमिता और कौशल विकास को प्रोत्साहित करने तथा उद्योगों, व्यवसाय व व्यापारों को अनुकूल वातावरण प्रदान करने में केंद्र व राज्य सरकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना २०१६–२० के अंतर्गत जून २०१९ तक कुल ५७.७५ लाख उम्मीदवारों ने नामांकन कराया जिनमें से ५२.१२ लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया अर्थात् इस योजना का लाभ कुल उम्मीदवारों में से ९०.२५ प्रतिशत लोगों ने ही उठाया है जबकि ९.७५ प्रतिशत लोग बीच में ही छोड़कर चले गए क्योंकि इन उम्मीदवारों की रुचि कम होना, अपेक्षाओं का पूरा न होना, उचित जुड़ाव की कमी, आंकलन के दौरान अनुपस्थिति या अनुत्तीर्णता एवं जागरूकता का अभाव इत्यादि रहे हैं। देश में कौशल विकास एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं जिसके अंर्तगत ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता